87 (53 66 Pit

मारत सरकार बौर सिंगापुर गणराज्य सरकार के बीच हवाई व्यवस्थाओं का करार

-0-

भारत सरकार, और सिंगापुर गणराज्य सरकार,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागों में इस्ताचार के लिए प्रस्तुत किए गए बन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन विभिसमय (जिसे वागे विभिसमय) कहा गया है) के इस्ताचारकर्ता हैं,

वपने-वपने मूमागों के बीच और उनके परे हवाई व्यवस्थाओं की स्था-पना के लिए करार करने की इच्छा से,

नीचे लिसी बातों पर सहमत हुई हैं :-

बनुच्हेद - I

जब तक प्रसंग से कोई अन्य वर्ध वभी ष्ट न हो, इस करार के प्रयोजन के लिए :-

- (क) वैमानिक प्राधिकारी शब्दों का आशय मारत के संबंध में सिविल विमानन का महानिदेशक होगा और सिगापुर गणराज्य के संबंध में उप प्रधान मंत्री या कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय होगा जिसे उन कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, जिन्हें उक्त महानिदेशक द्वारा खथवा उक्त मंत्री द्वारा किया जाता है;
- (स) नामज़द हवाई कम्पनी का बाशय है सेरी हवाई कम्पनी जिसे एक संविदाकारी पदा इस करार के बनुच्छेद III के बनुसार दूसरे संविदाकारी पदा को लिखित सूचना देकर नामज़द कर दें।
- (ग) मूमाग , हवाई व्यवस्था , बन्तर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्थार , हवाई कम्पनी और यातायात से मिन्न प्रयोजनों के लिए विराम सब्दों के आसय वहीं हैं जो अभिसमय के बनुच्हेद 2 और 96 में उनके लिए निश्चित किए गए हैं।

बनुव्हेद - 11

प्रत्येक संविदाकारी पता दूसरे संविदाकारी पता को इस करार के वनुवंव में निर्दिष्ट मार्ग पर (जिसे इसके बाद ैनिर्दिष्ट मार्ग कहा गया है) हवाई व्यवस्थाएं (जिन्हें इसके बाद सम्मत सेवाएँ कहा गया है) स्थापित करने के लिए इस करार में निर्दिष्ट विधिकार देता है।

- (2) इस करार के उपबंधों के वधीन रहते हुए निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का परिचालन करने में प्रत्येक संविदाकारी पता द्वारा नामज़द हवाई कम्पनी को निम्नलिसित विधिकार होंगे :-
 - (क) कौर उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पदा के मूमाग से होकर उड़ने का अधिकार;
 - (स) यातायात से मिन्न प्रयोजनों के छिए, दूसरे संविदाकारी पदा के मू-माम में विराम करने का विधकार ; वौर
 - (ग) किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का परिवालन करते हुए या त्रियों, माल और डाक के रेसे बन्तर्राष्ट्रीय याता-यात को उतारने या चढ़ाने के प्रयोजन से, जिसका मूल या गंतव्य पहले संविदाकारी पदा या किसी बन्य देश के मू-माग में हो, दूसरे संविदाकारी पदा के मू-माग में रेसे स्थान या स्थानों पर विराम का विध्वार, जो इस करार के बनुबंध में दिए गए मार्ग में निर्दिष्ट किए गए हैं।
- (3) इस बनुच्छेद के पैरा (2) के किसी भी वस का वर्ष एक संविदाकारी पदा को यह विधकार देना नहीं समका जास्या कि वह दूसरे संविदाकारी पदा के मू-माग में यात्रियों, माल या डाक के रेसे यातायात को भी चढ़ा सकेगा जिसका गतं व्य दूसरे संविदाकारी पदा के मू-भाग में ही कोई बन्य स्थान हो।
- (4) एक संविदाकारी पत्त के वे नियम, विनियम बाँर बनुदेश दूसरे संवि-दाकारी पत्त की नामज़द हवाई कम्पनी के वायुयानों और सम्मत व्यवस्थाओं पर भी लागू होंगे जो बन्तरांष्ट्रीय विमान चालन में परिचालित वायुयानों या हवाई व्यवस्थाओं के द्वारा उसके मू-माग में प्रवेश या वहां से प्रस्थान करने पर बथवा उसके मू-माग में रहते समय उन वायुयानों या हवाई व्यवस्थाओं के परिचालन पर लागू होते हों।

वनुच्छेद- III

प्रत्येक संविदाकारी पत्ता को यह विधिकार होगा कि वह निर्विष्ट मागों पर सम्मत सेवावों के परिचालन के लिए दूसरे संविदाकारी पत्ता को लिखित रूप से एक हवाई कम्पनी को नामज़द करें।

- (2) नामज़द्रगी की सूबना मिलने पर संविदाकारी पदा, वपने वैमानिक प्राधिकारियों के द्वारा, इस बनुच्छेद के पैरा (3) बाँर (4) के उपवंशों के वधीन रहते हुए नामज़द हवाई कंपनी को विधिलम्ब उपयुक्त परिवालन विधिकार दे देगा।
- (3) एक संविदाकारी पदा के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पदा दारा नामज़द हवाई कम्पनी से इस बात का वाश्वासन मांग सकते हैं कि वह उनके द्वारा वन्तराष्ट्रीय वाणि ज्यिक हवाई व्यवस्थावों के परिवालन पर सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले नियमों और विनियमों के वधीन निर्धारित अर्लों का पालन करने के लिए सदाम है।
- (4) यदि कोई संविदाकारी पत्त इस बात से वाश्वस्त न हो कि उस हवाई कंपनी का बहुमाग स्थामित्व बौर प्रमावी नियंत्रण दूसरे संविदाकारी पत्त वथवा उसके राष्ट्रिकों में निहित है तो उसको यह विधिकार होगा कि वह ऐसी हवाई कंपनी की नामज़दगी को स्वीकार करने से इन्कार कर दें या प्रस्तुत करार के वनुच्छेद II के पैरा 2 में निर्दिष्ट उन विधिकारों की मंजूरी को रोक दे कथवा उन विधिकारों के प्रयोग के संबंध में हवाई कंपनी पर ऐसी शर्तें लगाए जिन्हें वह वावश्यक सममें । इस पैरा के प्रयोजन के लिए बहुमाग स्वामित्व वौर प्रमावी नियंत्रण विभिन्यक्ति का वर्ष यह है कि किसी मामले में जहां नामज़द हवाई कंपनी किसी वन्य देश की हवाई कम्पनी या सरकार या किसी वन्य देश के राष्ट्रिकों से करार करके वपनी हवाई व्ययस्थावों का परिवालन करती हैं तो हवाई कम्पनी या इसके राष्ट्रिकों को नामज़द करने वाले संविदाकारी पत्त का नामज़द हवाई कम्पनी पर बहुमाग स्वामित्व वौर प्रमावी नियंत्रण नहीं समका वास्था जब तक कि संविदाकारी पत्ता का नामज़द हवाई कम्पनी की परिसम्पत्तियों के काफी माग के स्थामित्व के वलाया
 - (1) नामज़द स्वार्ड कम्पनी के प्रबन्ध में प्रभावी नियंत्रण ; वौर

(11) व्यवस्थाओं के परिचालन में इस्तेमाल किए जा रहे वायुयानों के बेड़े और उपस्कर के काफी बड़े माग का स्वामित्व और प्रमावी नियंत्रण भी है।

इस प्रकार नामज़द और प्राधिकृत हवाई कम्पनी सम्पत व्यवस्थाओं का परिवालन किसी मी समय बारम्भ कर सकती है, बश्रतें कि इससे पूर्व बनुक्केद X और XIII के उपबन्धों का अनुपालन पूरा हो चुका हो ।

अनुच्छेद - IV

प्रत्येक संविदाकारी पत्ता वपने पास यह विधिकार प्रारक्तित रसता है

कि यदि एक संविदाकारी पत्ता की नामज़द हवाई कम्पनी ने दूसरे पत्ता के

नियमों, विनियमों का बनुपालन न किया हो बथवा पहले पत्ता की समफा में

उन शतों को पूरा करने में कमी रही हो जिनके बयीन इस करार के बनुसार
विधिकार दिए गए हैं तो वह परिचालन बनुमित को प्रतिसंहृत कर सके या उस

पर ऐसी उचित शतों लगा सके जिन्हें वह बावश्यक समफें। जब तक कि तत्काल
परिचालन को निलम्बित किए बिना बथवा शतों को लागू किए बिना विधियों,
विनियमों बथवा इस करार के उपबन्धों के बाँर विधिक अतिलंधन की बाशका न

हो जब तक ऐसी कार्वाई इस करार के बनुच्छेद XV के बनुसार संविदाकारी

पत्तां के बीच परामर्श हो जाने के बाद ही की जा सकेगी।

वनुच्चेद - ४

कोई संविदाकारी पता अपने मू-भाग में दूसरे संविदाकारी पता दारा नामज़द हवाई कम्पनी द्वारा हवाई अहडों तथा दूसरी विमानन सुविधाओं के उपयोग के लिए उन प्रभारों से विधिक प्रभार न लेगा जो उसी प्रकार की अन्तर्रा-ष्ट्रीय हवाई व्यवस्थाओं में काम करने वाली अन्य राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों से लेता है।

वनुच्छेद - VI

एक संविदाकारी पता की नामज़द हवाई कम्पनी के वायुयान दूसरे संविदाकारी पता के मू-माग में जो ईंघन, मशीन तेल और फालतू पुर्जे लें और जो उस मू-माग के बन्तिम हवाई बड्डे से खाना होने तक वायुयान में ही रहें, उन पर लगने वाले सीमाञ्चल्क, निरीताण शुल्क और ऐसे ही दूसरे राष्ट्रीय शुल्क या प्रमार, तथा सामान्य उपस्कर या वायुयान के दूसरे सामान पर जो या तो वायुयान में लगा दिया गया हो या उसमें लादा गया हो बौर जो केवल उसी वायुयान में या उसके द्वारा काम में वाने वाला हो, और जो उस मू-भाग के बन्तिम हवाई बहुडे से रवाना होने तक हवाई जहाज में ही लगा रहे, उस लगने वाले सीमाशुल्क, निरीताण शुल्क या स्से ही दूसरे प्रमार के बारे में एक संविदाकारी पत्ता की नामज़द हवाई कम्पनियों के साथ दूसरा संविदाकारी पत्ता जो व्यवहार करेगा, वह उस व्यवहार से कम बच्छा न होगा जो कि वह बन्तरां द्रीय हवाई व्यवस्था चलाने वाली किसी परमित्र राष्ट्र की या वपनी हवाई कम्पनियों के साथ करता हो।

हतं यह है कि कोई भी संविदाकारी पता दूसरे संविदाकारी पता की नामज़द हवाई कम्पनियों को सीमाशुल्क, निरीताण फीस या इसी प्रकार के बन्य प्रभारों में कूट या परिहार देने के लिए तब तक बाध्य न होगा जब तक कि दूसरा संविदाकारी पता भी पहले संविदाकारी पता की नामज़द हवाई कम्पनी को ऐसे प्रमारों में कूट या परिहार न दें।

वनुक्हेद - VII

प्रत्येक संविदाकारी पद्मा की नामज़द हवाई कम्पनियों के दोनों पद्माें के मू-भागों के बीच बाँर उससे बागे बन्तराष्ट्रीय यातायात को छे जाने के छिए सब प्रकार से उचित बाँर समान बवसर प्राप्त होंगे।

बनुक्हेद - VIII

दोनों में से किसी मी संविदाकारी पता दारा नामज़द हवाई कंपनी की सम्मत हवाई व्यवस्थाओं के परिचालन में यह घ्यान रखा जास्या कि दूसरे पता दारा नामज़द हवाई कम्पनी के हितों की हानि न हो ताकि दूसरा पता उस सारे मार्ग वथवा उसके किसी अंश में जो व्यवस्था चलाता है उस पर कोई बनुचित प्रमाव न पड़ने पार ।

बनुच्हेद - IX

धारिता कितनी होगी, कितनी व्यवस्थारं परिचालित होंगी और हवाई व्यवस्था किस प्रकार की होगी, वर्धात् संविदाकारी पता के मू-भाग में से होकर जाना होगा या वहीं यात्रा समाप्त करनी होगी बादि बातों को अनुच्हेद VII बौर VIII तथा इस अनुच्हेद के उपवंघों में विहित सिदांतों के अनुसार नामज़द हवाई कंपनियां तय करेंगि । इस प्रकार का करार दोनों संविदाकारी पदाों के वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगा ।

- (2) धारिता में अथवा दोनों पत्ता में से किसी मी संविदाकारी पत्ता की नामज़द हवाई कंपनी द्वारा बलाई जाने वाली हवाई व्यवस्थाओं की संख्या में वृद्धि के विषय में पहले नामज़द हवाई कंपनियां सहमत होंगी और तब यह सहमति संयुक्त रूप से सम्मत और निश्चित अनुमानित यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होंगी । जब तक इस प्रकार की सहमति या फैसला न हो जाए तब तक इस अनुच्छेद के पैरा 1 में घारिता और बावृत्ति की संख्या के बारे में जो सहमति हुई है वही लागू होंगी ।
- (3) यदि किसी ऐसे विषय पर संविदाकारी पता की नामज़द कंपनियों की सहमति न हो पार, जिस पर इस उनुच्छेद के उपबंघों के बन्तर्गत उनकी सहमति होनी नाहिए तो संविदाकारी पता के वैमानिक प्राधिकारी उसका फैसला कराने का प्रयत्न करेंगे।
- (4) घारिता कितनी होंगी, कितनी व्यवस्थार परिवालित होंगी और हवाई व्यवस्था किस प्रकार की होंगी वर्थात् दूसरे संविदाकारी के मू-माग में से होकर बागे जाना होगा या वहीं यात्रा समाप्त करनी होंगी जादि बातों के बारे में इस बनुक्केद के उपवंशों के बनुसार जो सहम दि हो जास्गी उसका संविदाकारी पद्गां के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच होने वाले पत्रों के विनिमय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जास्गा।

बनुच्हेद - X

प्रत्येक संविदाकारी पता जपनी नामज़द हवाई कंपनी से दूसरे संविदा-कारी पता के वैमानिक प्राधिकारियों को व्यवस्था के प्रकार, उपयोग किस् जाने वाले बायुयान के प्रकार, उड़ान की अनुसूचियों, टैरिफ़ अनुसूचियों और सम्मत व्यवस्थाओं के परिवालन से संबंधित जन्य सूचनाओं को सम्मत सेवाओं को बारम्म करने से यथासंभव जितने पहले हो सके मिजवारणा और इनमें वे सभी सूचनार मी सम्मिलित होंगी जो वैमानिक प्राधिकारियों को इस बात की तसल्ली कराने के लिस बावश्यक हों कि प्रस्तुत करार की शर्तों का पालन ठीक को से हो रहा है। सम्मत सेवाओं से संबंधित किसी मी परिवर्तन पर इस अनुक्तेद की शर्तें इसी प्रकार लागू होंगी।

अनुच्छेष - XI

प्रत्येक संविदाका री पत्त के वैमानिक प्राधिका री दूसरे संविदाका री पत्त के वैमानिक प्राधिका रियों को अपनी हवाई व्यवस्थाओं द्वारा प्रत्येक मास में दूसरे संविदाका री पत्ता के मू-भाग को अथवा मू-भाग से, अथवा मू-माग से होकर लाए गए यातायात संबंधी बांकड़े दिलाएंगे जिनमें जहाज पर चढ़ने बौर उतरने के स्थानों का निर्देश होगा। ऐसे बांकड़े यथा संमव शीघा ति-शीघ दे दिए जाएंगे।

वनुच्छेद .. XII

प्रत्येक संविदाकारी पता दूसरे संविदाकारी पता की नामज़द हवाई कंपनी को पहले संविदाकारी पता के मू-भाग में वर्जित रक्ष्म का वह माग जो सर्व के बाद बन जास्णा, अपने मुख्य कार्यालय को प्रेष्मित करने का विधिकार देता है। इस प्रकार के प्रेष्मणों के संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यविधि उस संविदाकारी पता के विदेशी मुद्रा विनियमों के वनुरूप होगी जिसके मू-माग में रक्ष्म उपनियत हुई है।

वनुञ्चेद - XIII

किसी भी सम्मत व्यवस्था में टैरिफ मुना सिव स्तरों पर निश्चित किया जारगा और सभी संबंधित बातों, जिनमें परिचालन का व्यय, उचित लाम, व्यवस्थाओं की विशेषतारं (जैसे गति और स्थान का स्तर) और निर्दिष्ट मार्ग के किसी माग पर अन्य हवाई कंपनियों का टैरिफ शामिल है, का यथेष्ट घ्यान रहा जारगा । ये टैरिफ इस अनुक्देद के निम्नलिखित उप-बंधों के अनुसार निश्चित किए जारगे ।

- (2) इस बनुच्छेद के पैरा (1) में निर्दिष्ट टैरिफ और इनके साथ प्रयुक्त एंगेंसी कमीशन की दरें, यथासंभव संबंधित नामज़द हवाई कंपनियों के बीच निर्दिष्ट प्रत्येक मार्ग के लिए सम्मत होंगी और जहां तक हो सकेगा इस प्रकार की सहमति बंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था के दर निर्धारण तंत्र के ज़रिए की जाएगी। इस प्रकार से सम्मत टैरिफ दोनों संविदाकारी पत्ता के वैमान निक प्राधिकारियों के बनुमोदन के वधीन होगा।
- (3) यदि नामजृद हवाई कंपनियां इनमें से किसी भी टैरिफ पर सहमत न हो पारं या किसी कारणवश इस अनुच्छेद के पैरा (2) के उपवंघों के

बनुसार टैरिफ के संबंध में सहमति न हो पार तो संविदाका () पदा के वैमा-निक प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निश्चित करेंगे।

- (4) यदि वैमानिक प्राधिकारी इस बनुच्हेद के पैरा (2) के बंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ के बनुमोदन पर सहमत न हो सकें या पैरा (3) के बधीन किसी टैरिफ का निर्धारण न कर सकें तो यह मामला इस करार के बनुच्हेद XV के उपवंदों के बनुसार तय करने के लिए संविदाकारी पत्ता को सौंप दिया जारगा।
- (5) इस अनुच्छेद के उपवंधों के अनुसार टैरिफ का निर्घारण किये जाने तक जो टैरिफ पहले से लागू हैं वे ही लागू रहेंगे।

अनुञ्हेद - XIV

निकट सम्पर्क की मावना से दोनों संविदाकारी पत्तां के वैमानिक प्राधिकारी इस क्रार को लागू करने और निर्वचन के विषय में नियमित रूप से विचार विनिमय करेंगे।

बनुच्हेद - XV

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पदा किसी भी समय इस करार में कोई भी संशोधन करने की दृष्टि से परामर्श का अनुरोध कर सकेगा। यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पदा यह समके कि अनुक्केद XIV के अर्थ के बन्तर्गत विचार-विनिमय सफल नहीं रहा है तो वह इस करार के निर्वचन और लागू करने के बारे में भी परामर्श के लिये बनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श बनुरोध की तारीस से साठ दिन के भीतर बारम्म होगा। इस प्रकार के परामर्शों के फलस्वरूप प्रस्तुत करार में की गई कोई भी तरमीम विभिन्न सांविधानिक बावश्यकताओं को पूरा करने और राजनयिक पत्रों के विनिमय द्वारा पुष्ट हो जाने पर ही लागू होगी।

अनुच्छेद - XVI

यदि इस करार का वर्ध करने या उसे लागू करने के सम्बन्ध में कोई विवाद संविदाकारी पत्ता के बीच में उठ खड़ा हो, तो संविदाकारी पत्त पहले वापस में बातचीत करके उसे तय करने का प्रयत्म करेंगे।

(2) यदि संविदाकारी पत्ता बातचीत द्वारा विवाद तय न कर पारं तो वे उसे किसी विवादक विवकरण या व्यक्ति या संगठन को निर्णाय के लिये सौंप सकते हैं। विवाचक अधिकरण निम्निलिसित तरीके से बनाया जास्या :-

- (क) प्रत्येक संविदाका (ी पदा स्क विवासक ना मित करेगा ;
- (स) तीसरा विवाचक, जो सभापतित्व करेगा, दोनों संविदाकारी पत्ता की सहमति से रखा जास्या ।
- (3) यदि संविदाकारी पदा विवाद को विवादक-अधिकरण को सौंपने के लिये सहमत न हों या उसे विवादक-अधिकरण को सौंपने के लिये सहमत होने के बाद यदि वे तीसरे विवादक की नियुक्ति पर सहमत न हों, तो कोई मी संविदाकारी पदा विवाद को ऐसे अधिकरण के सामने रख सकता है जो विवाद का निणीय करने में सदाम हो और जिसकी स्थापना इसके बाद वन्त-राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के बन्तर्गत की जा सके या यदि ऐसा कोई अधिकरण न हो, तो उसे उक्त संगठन की परिषद् को सौंपा जा सकता है।
- (4) संविदाकारी पत्ता इस अनुच्छेद के अधीन किये गर किसी भी निर्णय का पालन करने का वचन देते हैं।

वनुच्छेद - XVII

संविदाकारी पता के बीच विभिन्न के उपवंघ, जहां तक वे करार के बधीन स्थापित हवाई व्यवस्थाओं पर छागू होते हैं, करार की बविध के दौरान अपने वर्तमान रूप में करार के अभिन्न अंग की तरह तब तक छागू रहेंगे जब तक कि दोनों संविदाकारी पता अभिसमय के किसी रेसे संशोधन का सत्यांकन न करदें जो विधिवत् छागू कर दिया गया हो बौर उस स्थिति में संशोधित अभिसमय ही इस करार की बविध में छागू रहेगा।

अनुच्हेद - XVIII

इस करार का संलंगन बनुबंध करार का ही वंश माना जास्या बौर सिवाय उस स्थिति के जब कि स्पष्टरूप से बन्यया उपवंध न कर दिया गया हो, करार के सम्बन्ध में जो भी उल्लेख किये जास्ये, उनमें बनुबंध का उल्लेख भी सम्मिलित होगा ।

(2) ज्यों ही दोनों संविदाका री पत्त क्रमशः अपनी सांविधानिक प्रक्रि-यावों को पूरा करने की सूचना एक दूसरे को दे देंगे त्यों ही यह करार लागू हो बास्पा।

वनुच्छेद - XIX

कोई मी संविदाकारी पदा दूसरे पदा को किसी मी समय इस बात का नोटिस दे सकता है कि वह इस करार को समाप्त करना चाहता है। इस नोटिस की सूबना साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को मी दी जास्मी। यदि दूसरे संविदाकारी पदा को नोटिस मिलने की तारीस से बारह महीने की अवधि से पहले ही सममाता करके यह नोटिस बापस न ले लिया जास तो उकत अवधि की समाप्ति पर यह करार समाप्त हो जास्मा। यदि दूसरे संविदाकारी पदा को नोटिस की प्राप्ति-रसीद न मिले तो जिस दिन यह नोटिस अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को मिला हो उसके चौदह दिन बाद दूसरे संविदाकारी पदा को मी मिला हुआ माना जास्मा।

वनुच्छेद - XX

यह करार बौर अनुच्छेद XV के अनुसार किया गया पत्र-व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन में दर्ज किया जास्या ।

निर्माण्य में तारीस 23 जानिरी को नार मूल प्रतियों - दो हिन्दी बौर दो बग्नेज़ी - में किया गया । नारों प्रतियां समान रूप से प्रामाणिक हैं। बर्ध निर्वन में मिन्नता होने पर बग्नेज़ी पाठ मान्य होगा।

2 TOGILAR

भारत सरकार की बोर से

Walysan

सिंगापुर गणाराज्य सरकार की बोर से

वनुबन्ध

वनुसूची - I

वे मार्ग जिन पर भारत की नामज़द कम्पनी के विमान दोनों दिशाबों में चलेंगे :-

साना-1	बाना- 2	साना-3	बाना-4
यात्रा-प्रारम्भ	बीच के	सिंगापुर के	उससे जागे के
के स्थान	स्थान	स्थान	स्थान

भारत में स्थान कुआला लम्पुर सिगापुर पर्ध, सिडनी, बॉकलैंड, नूमी, नदी

वनुसूची - 11

वे मार्ग जिन पर सिंगापुर की नामज़द कम्पनी के विमान दोनों दिशा में चलेंगे :-

बाना -1	साना-2	साना-3	साना-4
यात्रा-प्रारम्भ केस्थान	बीच के स्थान	भारत के स्थान	उससे जागे के स्थान
सिंगापुर - मलयेशिया में स्थान	-	मद्रास	-

टिप्पणी:

- (i) कोई भी नामज़द हवाई कम्पनी यदि चाहे तो किसी या सभी उड़ानों में बनुबंध की बनुसूची I और II में निर्दिष्ट मार्गों के कोई या कुक स्थान कोड़ सकती है।
- (ii) किसी भी संविदाकारी पता की नामज़द हवाई कम्पनी को दूसरे संविदाकारी पता के मू-माग में अपनी सेवारं बंद करने का अधिकार होगा।

The Government of India and the Government of the Republic of Singapore,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation (hereinafter referred to as the Convention) opened for signature at Chicago on the 7th December, 1944,

And Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

Have Agreed as follows :-

ARTICLE I

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:-

- (a) the term "aeronautical authorities" means, in the case of India, the Director General of Civil Aviation, and in the case of the Republic of Singapore, the Deputy Prime Minister or any person or body authorised to perform the functions exercised by the said Director General or by the said Minister or similar functions;
- (b) the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party has designated in writing to the other Contracting Party, in accordance with Article III of this Agreement;

(c) the terms "territory", "air services",

"international air services", "airline"

and "stop for non-traffic purposes" have
the meanings respectively assigned to them
in Articles 2 and 96 of the Convention.

ARTICLE II

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing air services (hereinafter called "the agreed services") on the route specified in the Annex hereto (hereinafter called "the specified routes").

- (2) Subject to the provisions of this Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:-
 - (a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
 - (b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and
 - (c) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the point or points specified for that route in the Annex to this Agreement, for the purpose of putting down or taking on international traffic in passengers, cargo

and mail, originating in or destined for the territory of the first Contracting Party or of a third country.

- (3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.
- (4) The laws, regulations and instructions of one Contracting Party, relating to entry into or departure from its territory, of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall apply to aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

ARTICLE III

Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

- (2) On receipt of the designation, the Contracting Party shall, through its own aeronautical authorities and subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorisation.
- (3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and

regulations normally applied by them to the operation of international commercial air services.

- Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline or to withhold the grant to an airline of the rights specified in paragraph (2) of Article II of this Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those rights in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the other Contracting Party or its nationals. For the purpose of this paragraph, the expression "substantial ownership and effective control" means that in any case where the designated airline operates its services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemd to have substantial ownership and effective control of the designated airline, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of a substantial part of the assets of the designated airline, have also:-
 - (i) effective control in the management of the designated airline; and
 - (ii) ownership and effective control of a substantial part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.
 - (5) The airline so designated and authorised may

begin to operate the agreed services at any time provided that the provisions of Articles X and XIII have been complied with.

ARTICLE IV

Each Contracting Party reserves the right to itself to revoke the operating authorisation or impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case of failure by a designated airline of the other Party to comply with the laws and regulations of the former Party, or in case, in the judgment of the former Party, there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with this Agreement. Such action shall be taken only after consultation between the Contracting Parties in accordance with Article XV of this Agreement unless an immediate suspension of operations or imposition of conditions is necessary to avoid further infringements of laws, regulations or provisions of this Agreement.

ARTICLE V

The charges imposed in the territory of one Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those raid by the aircraft of a national airline engaged in similar international air services.

ARTICLE VI

Supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores introduced

into or taken on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and intended solely for use by or in such aircraft and remaining on board on departure from the last airport of call in that territory shall be accorded, with respect to customs duty, inspection fees or similar charges, treatment not less fevourable than that granted by the second Contracting Party to the national airlines operating scheduled international air services or to the airlines of the most favoured nation.

Provided that neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airline of the other Contracting Party exemption or remission of customs duty, inspection fees or similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airline of the first Contracting Party.

ARTICLE VII

The designated airline of each Contracting Party shall, in all respects, enjoy fair and equal opportunity for the carriage of international traffic between and beyond the territories of the two Parties.

ARTICLE VIII

In the operation by the designated airline of either Contracting Party of the agreed services, the interests of the designated airline of the other Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on all or part of the same route.

ARTICLE IX

The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of an air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed between the designated arilines in accordance with the principles laid down in Articles VII and VIII and the provisions of this Article. Such agreement shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

- (2) Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be agreed, in the first instance, between the designated airlines and shall be subject to the approval of the aeronautical authorities on the basis of the estimated requirements of traffic to be jointly agreed and determined. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency already agreed to in accordance with paragraph 1 of this Article shall prevail.
- (3) If the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on any matter on which their agreement is required under the provisions of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to reach agreement thereon.
- (4) The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of an air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party as agreed to in

accordance with the provisions of this Article shall be specified in an exchange of letters between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE X

Each Contracting Farty shall cause its designated airline to communicate to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of this Agreement are being duly observed. The requirements of this Article shall likewise apply to any changes concerning the agreed services.

ARTICLE XI

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities
of the other Contracting Party statistics relating to
the traffic carried during each month on their air services to or from or through the territory of the other
Contracting Party showing the points of embarkation and
disembarkation of such traffic. Such statistics shall
be furnished as early as possible.

ARTICLE XII

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to remit

to its head office the excess over expenditure of receipts earned in the territory of the first Contracting Party. The procedure for such remittances, however, shall be in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued.

ARTICLE XIII

The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

- Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned, and such agreement shall, wherever possible, be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
- (3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reason a tariff cannot be agreed upon in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

- (4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement in accordance with the provisions of Article XV of this Agreement.
- (5) Pending determination of the tariffs in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.

ARTICLE XIV

In a spirit of close collaboration, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall exchange views regularly on the application and interpretation of this Agreement.

ARTICLE XV

consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of initiating any amendments to this Agreement. Consultations may also be requested on matters concerning the interpretation and application of this Agreement if either Contracting Party considers that an exchange of views within the meaning of Article XIV has been without success. Such consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request. Any modification of this Agreement as a result of such consultations shall come into effect after the respective constitutional requirements have been fulfilled and when it has been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

ARTICLE XVI

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

- (2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiations they may agree to refer the dispute for decision to an arbitration tribunal or to any other person or organization. The arbitration tribunal shall be composed as follows:-
 - (a) each Contracting Party shall nominate an arbitrator;
 - (b) the third arbitrator who shall preside shall be agreed upon between the Contracting Farties.
- (3) If the Contracting Parties do not agree to refer the dispute to an arbitration tribunal or having agreed to refer the dispute to an arbitration tribunal they cannot reach agreement as to the appointment of the third arbitrator, either Contracting Party may submit the matter for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organization or, if there is no such tribunal, to the Council of the said Organization.
- (4) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under this Article.

ARTICLE XVII

To the extent to which they are applicable to

the air services established under this Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of this Agreement.

ARTICLE XVIII

The Annex attached to this Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include reference to the Annex, except where otherwise expressly provided.

(2) This Agreement shall come into force as soon as the two Contracting Farties have notified to each other the fulfilment of their respective constitutional procedures.

ARTICLE XIX

written notice to the other, of its desire to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, this Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgment of receipt by the other Contracting Party, notice shall be

deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE XX

This Agreement and any Exchange of Notes in accordance with Article XV shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Done at 25 Injofore this 23 Ad day of frakery '-768 in four originals, two each in the Hindi and English Languages, all the four texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English texts shall prevail.

the Government of For the Government of the Republic of Singapore

ANNEX

SCHEDULE I

Routes to be operated by the designated airline of India:

Column 1.	Column 2.	Column 3.	Column 4.
Points of departure:	Intermediate points:	Points in Singapore:	Points beyond:
Points in India.	Kuala Lumpur.	Singapore.	Djakarta, Ferth, Sydney, Auckland, Noumea, Nandi.

SCHEDULE II

Routes to be operated by the designated airline of Singapore:

Column 1.	Column 2.	Column 3.	Column 4.
Points of departure:	Intermediate points:	Points in India:	Foints beyond:
Singapore - Points in Malaysia.	-	Madras.	

Notes

- (i) The points specified above, including Singapore and Kuala Lumpur, need not necessarily be served in the order named and any or some of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights.
- (ii) The designated airline of either Contracting Farty shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Farty.